पेपर लीक गैंग के हर्षवर्धन मीणा को पटवारी के पद से हटाया

दौसा कलेक्टर ने किया बर्खास्त, नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था

जयपुर। पेपर लीक गैंग के हर्षवर्धन मीणा को 21 मार्च को जिला कलेक्टर दौसा ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मामले में एसओजी की एसआईटी ने आरोपी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद हर्षवर्धन मीणा जेल में है। एसओजी जेल से रिमांड पर लेकर कई बार पूछताछ कर चुकी है। आरोपी के खिलाफ 6 से अधिक एफआईआर दर्ज है।

एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि पेपर लीक मामलों में राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दिखाई दे रही है। पेपर लीक मामलों में पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार हो रहे एक्शन से बदमाशों का मनोबल हमेशा के लिए टूटेगा। सरकार पेपर लीक मामलों में लिप्त राज्यकर्मियों को बर्खास्त कर के एक संदेश दे रही है। इससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध नहीं करेगा। गैंग के सरगना पर विशेष नजर रख कर हर केस का फीड बैंक सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। इसका ही परिणाम है कि पटवारी भर्ती मामले में दौसा के सरगना पटवारी हर्षवर्धन मीणा को डीएस दौसा देवेन्द्र कुमार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जेईएन

- **एसओजी आरोपी को जेल से रिमांड पर लेकर कई बार पूछताछ कर चुकी है। उसके खिलाफ छह से अधिक एफआईआर दर्ज हैं**

भर्ती परीक्षा 2020 में गिरफ्तारी से पहले महवा में पटवारी के पद पर कार्यरत हर्षवर्धन मीणा पर लगे तीन आरोपों की जांच पूरी होने के बाद आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार द्वारा शुक्रवार को राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया है।

हर्षवर्धन पर पहला आरोप 2 जनवरी, 2024 से अनुपस्थित चलना, दूसरा राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने से सम्बन्धित प्रकरण में संलिप्त होने पर एसओजी 18 फरवरी 2024 को नेपाल बोर्डर से भारत की सीमा में आते हुए एक साथी के साथ भारत-नेपाल सीमा पर स्थित शहर सोनोली (उत्तरप्रदेश) से गिरफ्तार किया जाना और तीसरा आरोप स्वयं तथा परिजनों के नाम से विभिन्न प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के अर्जित किया जाना है, जिसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया था।

पेपर लीक गिरोह के सरगना हर्षवर्धन मीणा की पत्नी सरिता मीणा भी भीलवाड़ा में पटवारी के पद पर कार्यरत थी। जिसने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में स्वयं की जगह डमी अभ्यर्थी बैठा लिखित परीक्षा पास की थी, जिसमें फरार चल रही है। सरिता पर लगे तीन आरोपों की जांच पूर्ण होने के बाद आरोप प्रमाणित पाए जाने पर तत्कालीन भीलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता द्वारा 24 दिसम्बर 2024 को राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया था।

निलंबित पटवारी सरिता मीणा पर पहला आरोप 15 जनवरी 2024 से बिना अनुमति एवं सक्षम स्वीकृति के मोबाइल स्विच ऑफ कर कार्य स्थल से अनुपस्थित रहना, दूसरा आरोप कार्यस्थल पटवार हल्का बारणी का राजस्व रेकार्ड किसी अन्य पटवारी को नहीं देकर गुलाबपुरा स्थित निजी आवास में रखना, जिससे राजस्व रेकार्ड खुर्द-बुर्द होने की संभावना थी। तीसरा आरोप आरपीएससी द्वारा आयोजित उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा- 2021 में अपने स्थान पर किसी अन्य को बैठाकर लिखित परीक्षा पास किया जाना है।

सिंह ने बताया कि पेपर लीक मामलों की जांच के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी के बाद से लेकर आज तक 45 (प्रशिक्षु उप निरीक्षक-2021) सहित भर्ती सम्बन्धी अन्य परीक्षाओं में संलिप्तता पाए जाने पर कुल 86 लोक सेवकों को बर्खास्त किया जा चुका है। जिसमें प्रमुख रूप से अमृत मीणा (पूर्व कॉलेज व्याख्याता), आरएएस भर्ती, 2013 का पेपर लीक का सूत्रधार, सरनाऊ (सांचौर) के प्रधान का पुत्र ओमप्रकाश ढाका (अध्यापक), पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई का भाई भीखाराम (अध्यापक) शामिल हैं। पेपर लीक मामलों में की जा रही कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके तहत शेष 189 लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

अर्थ ऑवर पर मुख्यमंत्री निवास पर एक घंटा बिजली बंद रही

जयपुर। अर्थ ऑवर के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिविल लाइन्स स्थित राजकीय निवास पर शनिवार रात को 8.30 बजे से एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास स्थित विभिन्न कार्यालयों में लाइट एवं उपकरण बंद रहे और कार्मिकों ने मोमबत्ती की रोशनी में कार्य किया।

भाजपा हरियाणा प्रभारी व भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े से शिष्टाचार भेंट की।

'कांग्रेस के शासन में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को कहा था पिंजरे का तोता'

जयपुर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि लगता है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूल गए हैं कि दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन था तब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। राजस्थान में सीबीआई के बेजा इस्तेमाल का शिकार तो वे खुद भी हो

- **पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जवाबी हमला**

चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश में 56 साल तक एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया, आज वे संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एजेंसियां अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने जब उसके पुराने कुकर्म खड़े होकर बोलने लगते हैं। उस समय कांग्रेसी लोकतंत्र में मतपेटी से मिले जनादेश पर भी निशाना साधते हैं। राजेन्द्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि देश व राजस्थान की जनता जब तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ है, यह शासन चलता रहेगा। राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सिर्फ इंतजार ही करते रहें।

सार-समाचार

बाबर व राणा सांगा को कभी एक पलड़े में नहीं रखा जा सकता : शेखावत

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। शनिवार को यहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले, आज नहीं, अगले 1000 साल तक, जब कभी समीक्षा करेंगे, कभी बाबर और राणा सांगा की तुलना करके एक ही पलड़े में नहीं रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। उन्होंने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, साथ-साथ भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। शेखावत ने दो टूक कहा कि कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है।

दो हजार करोड़ के जीएसटी प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट को जमानती में बदला

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी से संबंधित करीब दो हजार करोड़ रुपए के मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को एक माह में अदालत में पेश होने के लिए कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश पीसी पुरोहित की याचिका पर दिए। मामले के अनुसार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस को फर्जी फर्मों के नाम पर पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति करने और माल मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नाथद्वारा को पहुंचाए जाने की जानकारी मिली। अधिकारियों ने मिराज प्रोडक्ट्स और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में अधीनस्थ अदालत ने याचिकाकर्ता के गैर जमानती वारंट जारी किया। जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान कहा कि मामले में सीधे गैर जमानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि मामला करीब दो हजार करोड रुपए के कर से जुडा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि यदि कोई जांच में सहयोग कर रहा हो और अदालत में पेश होने को तैयार हो, तो सीधे गैर-जमानती वारंट जारी करना उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया है।

लापता नाबालिगों की बरामदगी को लेकर पुलिस अधीक्षक तलब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लापता नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी नहीं कर पाने के दो अलग-अलग मामलों में बारां और झुंझुनूं पुलिस अधीक्षकों को तलब किया है। अदालत ने बारां एसपी को सात अप्रैल और झुंझुनूं एसपी को 8 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि लापताओं की तलाश के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस नरेन्द्र सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश जगदीश प्रसाद व इन्द्रा सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिए। याचिका में अधिवक्ता एमके सिंह ने कहा कि उसकी 17 साल की बालिका बारां जिले के हमावड़ा शाहजी थाना क्षेत्र से लापता हुई है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी अब तक लापता को बरामद नहीं किया गया है। ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाए कि वह नाबालिग बालिका को बरामद करे। इसी तरह दूसरी याचिका में झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौडज़ी थाना क्षेत्र से लापता हुई 16 वर्षीय बालिका को तलाशने का निर्देश देने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने दोनों थानाधिकारियों को तलब किया। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट को देखकर अपना असंतोष जाहिर किया। इसके साथ ही अदालत ने दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पेश होकर बरामदगी के प्रयासों की जानकारी देने को कहा है।

कांग्रेस में बहेगी गंगा-जमुनी तहजीब की रसधार

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस की ओर से होली स्नेह मिलन करने के बाद जयपुर की कांग्रेस में अब आपको गंगा-जमुनी धार बहती दिखाई देगी। त्यौहारों के मौसम में इस तहजीब को आगे बढ़ाते हुए जयपुर शहर जिला कांग्रेस की ओर से पहले होली स्नेह मिलन और फिर रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अध्यक्ष जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस कार्यालय में अन्नकूट और पौषबड़ों के आयोजन करने वाले आरआर तिवाड़ी अब 26 मार्च को होली मिलन का कार्यक्रम और उसके बाद 28 मार्च को रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। 26 मार्च को जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, हवामहल के सामने होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलेंगे। 28 मार्च को रमजान माह के आखिरी जुमे (अलविदा) के दिन जिला कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रोजा इफ्तार कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता नेता और आमजन शामिल होंगे।